प्रेस विज्ञप्ति
1/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स जीआई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ फेमा, 1973 के प्रावधानों के तहत जांच की, जिसमें भारतीय इकाई मेसर्स हर्मीस आई टिकट प्राइवेट लिमिटेड (जीआई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली) के शेयरों को मॉरीशस स्थित फंड स्ट्रक्चर इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टमेंट फंड (ईएमआईएफ) 1ए में संदिग्ध हस्तांतरण की कार्यप्रणाली का पता चला, जिसने बदले में, कुछ ही हफ्तों में उक्त शेयरों को अत्यधिक बढ़े हुए मूल्य पर एक जर्मन इकाई मेसर्स वायरकार्ड एजी को हस्तांतरित कर दिया। पाया गया कि लेन-देन का पूरा दायरा इस तरह से धोखाधड़ी से तैयार किया गया था ताकि यह तथ्य छिपाया जा सके कि मेसर्स हर्मीस आई टिकट प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों को हमेशा मेसर्स वायरकार्ड एजी द्वारा पहले से तय कीमत पर खरीदा जाना था। यह भी पाया गया कि मेसर्स ईएमआईएफ 1ए के माध्यम से किए गए लेन-देन का उद्देश्य केवल जीआई रिटेल के दोषी शेयरधारकों को भारत के बाहर वास्तविक बिक्री मूल्य की अत्यधिक राशि को रखने और छिपाने की सुविधा प्रदान करना था, जो कि 195 करोड़ रुपये (लगभग) थी। 195 करोड़ रुपये (लगभग) की उक्त अतिरिक्त राशि को इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई काल्पनिक सेवाओं की आड़ में दो यूएई आधारित संस्थाओं (भारतीय लाभार्थियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित) के खातों में रखा गया था। यह पाया गया कि लाभार्थियों ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की और रखी, लेकिन इसे भारत में वापस लाने में विफल रहे, ईडी ने फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों को लागू किया और अपराधियों से भारत में 195 करोड़ रुपये (लगभग) की विभिन्न समकक्ष संपत्तियों को जब्त कर लिया।

पकड़ी गई संपत्तियों को जब्त करने की प्रार्थना के साथ-साथ नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा विभिन्न फेमा उल्लंघनों के संबंध में ईडी द्वारा दायर की गई शिकायत पर न्यायनिर्णयन के लिए विचार किया गया। कानून की उचित प्रक्रिया में, दिनांक 28/10/2024 के न्यायनिर्णयन आदेश के तहत,195 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त करने के अलावा विभिन्न प्रतिवादी नोटिसों पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा कुल 566.5 करोड़ रुपये (लगभग) का जुर्माना लगाया गया है।